

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	गृह
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1925
उत्तर की तिथि	:	02.03.2022
विषय	:	आपराधिक मामले
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री बलबीर सिंह (चिन्तपुरनी)
संबंधित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक चिन्तपुरनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नारकोटिक्स (चरस एवं अफीम), हत्या एवं आत्महत्या के कितने मामले पंजीकृत किए गए; दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; ब्यौरा मामलावार व वर्षवार दें?	उत्तर 'परिशिष्ट क' पर संलग्न है।

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 1925 जो कि माननीय विधायक श्री बलबीर सिंह (चिन्तपुरनी) द्वारा आपराधिक मामले बारे पूछा गया है, का उत्तर:-

गत 03 वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक चिन्तपुरनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में, नारकोटिक्स (चरस एवं अफीम) के 07 मामले, आत्महत्या के 07 मामले (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अर्न्तगत) तथा हत्या का कोई भी मामला पंजीकृत नहीं हुआ है।

उपरोक्त (चरस एवं अफीम) के 07 मामलों में कुल 08 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमे से 06 मामलों में 07 दोषियों के विरुद्ध चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा 01 मामला अभी अन्वेषणाधीन है। उपरोक्त पंजीकृत मामलों का अभियोगवार व वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:-

वर्ष/अवधि	अपराध शीर्षक	अभियोग संख्या व दिनांक	निम्न धारा	बरामद मादक पदार्थ की मात्रा	वर्तमान स्थिति	गिरफ्तार दोषियों की संख्या
01.02.2019 से 31.01.2020	चरस	10 दिनांक 25.02.2019	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	10 ग्रा0	विचाराधीन न्यायालय	01
		11 दिनांक 28.02.2019	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	5.400 ग्रा0	विचाराधीन न्यायालय	01
		43 दिनांक 10.08.2019	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	14.820 ग्रा0	विचाराधीन न्यायालय	01
		70 दिनांक 7.12.2019	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	11.83 ग्रा0	विचाराधीन न्यायालय	01

01.02.20 से 31.01.2021	चरस	33 दिनांक 16.08.2020	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	14.41 ग्रा	विचाराधीन न्यायालय	01
01.02.21 से 31.01.2022	चरस	17 दिनांक 08.03.2021	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	18.49 ग्रा0	विचाराधीन न्यायालय	02
		02 दिनांक 23.01.22	20 मादक पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम	221 ग्रा0	अन्वेषणाधीन	01

\*\*\*\*\*